न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 7/2020/दावा/बउनवान/चन्द्रप्रकाश बनाम रामरतन उर्फ रतनलाल वगै0
जीसीएमएस संख्या 2020/00056

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी बोहत हाल निवास वार्ड नम्बर 30 मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामरतन उर्फ रतनलाल पुत्र काशीराम जाति माली निवासी बोहत हाल निवास नागाजी मौहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. मुकेश कुमार } पुत्रान रामरतन उर्फ रतनलाल
3. दिनेश सुमन } जाती माली निवासी नागाजी मौहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील प्रार्थी : श्री मानोज कुमार गालव
वकील अप्रार्थी : श्री बुद्विप्रकाश मालव एवं श्री महेन्द्र सिंह हाडा

निर्णय दिनांक : 08.01.2025

दायरा दिनांकः 26.06.2020

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है :–

1. यह की प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 सगे पिता पुत्र है और अप्रार्थी क्रम 2 व 3 प्रार्थी के सौतेले भाई है प्रार्थी के पिता ने करीब 30 वर्षो से प्रार्थी एवं उसकी माता जशोदा बाई का परित्याग करके घर से बाहर निकाल दिया था और दूसरा नाता विवाह करके 2 अन्य पुत्रों अप्रार्थी नं. 2 व 3 को जन्म दिया है जिनकी पैतृक व पुश्तैनी शामलाती खाते की आराजी वाके ग्राम बोहत में स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में हिन्दू अविभक्त कर्ता होने के नाते अप्रार्थी नं. 1 के खाते दर्ज हो रही है।
2. यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 की पैतृक मौरूसी आराजी वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में खाता सं. 276 खसरा 20/0.5 है0, 21/0.81 है0, 24/0.05 है0, कुल किता 3 रकबा 1.36 है0, हिस्सा 1/3 एवं खाता संख्या 308 खसरा नम्बर 16/3.17 है0, 17/0.12 है0, 18/0.37 है0, 19/1.00 है0, किता 04 रकबा 4.66 है0, हिस्सा 1/6 खाता संख्या 809 खसरा नम्बर 1034/0.11 है0, 1035/0.60 है0, 1036/0.14 है0, 1042/3138 रकबा 0.06 है0, 1847/0.08 है0, 1851/0.02 है0, 2075/0.03 है0, 2097/3.95 है0, 2098/1.88 है0, 2099/1.54 है0, 2100/2.29 है0, 901/0.09 है0, 903/0.24 है0, किता 13 रकबा 11.03 है0, हिस्सा 1/18 स्थित है

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

जो अविभक्त हिन्दू परिवार के कर्ता खानदान होने से अप्रार्थी क्रम 1 के खाते में दर्ज हो रही है उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 की पैतृक / पुश्तैनी आराजी है जिसमें प्रत्येक का जन्म से हित निहित है और प्रार्थी का भी अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से में से 1/5 हिस्सा है क्योंकि प्रार्थी/अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 का उत्तराधिकार सज़रा निम्न प्रकार है।

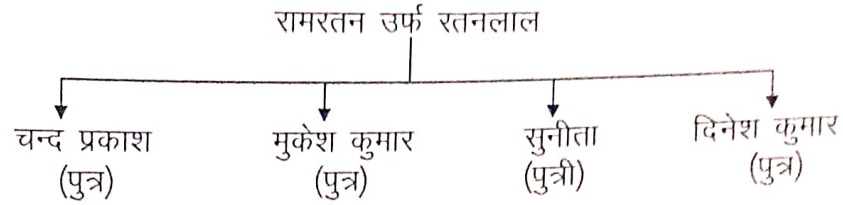

3. यह कि अप्रार्थी क्रम 1 लालची व बदनीयत किस्म का व्यक्ति है और प्रार्थी एवं उसकी माता जसोदा बाई को प्रार्थी के बाल्यकाल 6 वर्ष की उम्र में ही मारपीट कर भगा दिया था और प्रार्थी के प्रति कोई उत्तरदायित्व का कभी भी निर्वाह नहीं किया है अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने सभी सुख सम्पत्ति संसाधन राज सेवा रिटायरमेन्ट धन अपने दोनों पुत्रों अप्रार्थी नं. 2 व 3 पर ही खर्च किये हैं। प्रार्थी दीन–हीन अवस्था में मेहनत मजदूरी करके कस्बा मांगरोल में किराये के मकान में जीवन यापन कर रहा है प्रार्थी ने अपने शादी ब्याह सब अपने मामा के सहयोग से स्वयं ही किये है और 10–12 वर्षो से प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजी मे से वाके बोहत की $3\frac{1}{2}$ बीघा आराजी भगवानपुरा बोहत माल को काबिज़ काश्त होकर कृषि कर रहा है जो भी अप्रार्थी नं. 1 ने समाज पंचायत के डर से प्रार्थी को प्रदान की थी अब अप्रार्थी नं. 1 बदनीयतवश प्रार्थी को उसकी पैतृक मौरूसी जायदाद में से उसके विरासतन हक अधिकार से वंचित करना चाहता है और अपने सम्पूर्ण हक हिस्सा को बेचान दान–हस्तानान्तरण करके प्रार्थी को महरूम करना चाहता है और अविभक्त हिन्दू परिवार के कर्ता खानदान होने से वादग्रस्त आराजीयात को मात्र अपने दोनो पुत्रों अप्रार्थी नं. 2 व 3 के खाते धोखाधड़ी व जालसाजी से जरिये रजिस्टर्ड रहन दान विक्रय करके खाते बंधवाना चाहता है और नामान्तकरण खुलवाकर प्रार्थी को उसके हक् व हिस्से से महरूम करना चाहता है जबकि प्रार्थी आराजी वादग्रस्त पर अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।
4. यह कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र की मद नम्बर 02 में वर्णित पैतृक आराजियात में हिन्दू उत्तराधिकार दाय भाग अनुसार अप्रार्थी नं. 1 के हिस्सा में 1/4 बनता है अभी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत कानूनी विभाजन नहीं हुआ है और बिना विधिवत विभाजन के बगैर किसी भी प्रकार का हस्तानान्तरण विधि के समक्ष प्रार्थी के हित व हिस्से तक शून्य व अवैध है प्रार्थी का उपरोक्त वर्णित आराजी खाता संख्या 276 किता 3/1.36 हैक्टयर हिस्सा 1/3 का 1/5 खाता संख्या 308 किता 4 रकबा 4.46 है0, हिस्सा 1/6 का 1/5 खाता संख्या 809 किता 13/11.03 है0, हिस्सा 1/18 का 1/5 बनता है और अप्रार्थी नं. 1 के मन में बदनीयति होने से प्राथी अपना हक हिस्सा अपने पिता के जीवनकाल में ही पृथक करा कर पृथक से खाते दर्ज करवाना चाहता है। क्योंकि अप्रार्थी नं. 1 सम्पूर्ण आराजी का हस्तानान्तरण रहन दान, विक्रय से मात्र अपने दो पुत्रों अप्रार्थी नं. 2 व 3 मुकेश कुमार, दिनेश सुमन को ही करना चाहता है एवं प्रार्थी के लिए कोई जमीन शेष नहीं छोडना चाहता है।
5. यह कि अप्रार्थी नं. 1 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अपने विरासतन हक हिस्से से अधिक का रहन–दान विक्रय किसी दीगर व्यक्ति को करके अपने पुत्र को उसकी मौरूसी जायदाद के हिस्से से वंचित करे इसलिए प्रार्थी के लिऐ अविलम्ब निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी नं. 1 ता 3 प्राप्त करना एवं अपनी पैतृक सम्पत्ति हिस्से का विधिपूर्वक विभाजन कराना एवं अपनी पैतृक सम्पत्ति हिस्से का विधिपूर्वक विभाजन कराना आवश्यक हो गया है तथा अप्रार्थी नं. 15 को भी वादग्रस्त आराजी में बिना

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

विधिपूर्वक विभाजन के किसी प्रकार का नामान्तरण तस्दीक नहीं करने बाबत् निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हो गया है।

6. यह कि अप्रार्थी नं. 4 ता 14 को शामलाती खाता में होने एवं आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी क्रम 15 को सर्वोच्च भू–स्वामी व आवश्यक पक्षकार होने एवं विभाजन आराजी का भी करना होने से पक्षकार बनाया है जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की रिलिफ नहीं चाही गयी है।
7. यह कि अप्रार्थी क्रम 1 का एक मात्र उद्देश्य अपने सगे पुत्र प्रार्थी को पैतृक सम्पति हक/हिस्सा से वंचित करके अवैध हस्तानान्तरण करके बल पूर्वक बेदखल करना है जबकि प्रार्थी गरीब बेसहारा है और गरीबों में अपने परिवार का मजदूरी करके पालन पोषण कर रहा है।
8. यह कि प्रार्थी का प्राईमाफैसी केस है अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थी का पिता HUF कर्ता खानदान होने से खातेदार है और मात्र अपने दोनो पुत्रों अप्रार्थी नं. 1 व 2 को सम्पूर्ण आराजी वादग्रस्त में से अपना हिस्सा रहन बैचान दान हस्तान्तरण करने पर आमादा है और प्रार्थी को महरूम करना चाहता है अप्रार्थी नं. 1 तहसील मांगरोल में स्टाम्प खरीद करके हस्तान्तरण करने पर आमादा है सुविधा संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थी नं. 1 अपने गलत उद्देश्य में सफल हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी और प्रार्थी हमेशा के लिऐ अपने हक अधिकार से महरूम हो जावेगा।
9. यह कि अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन कर दिये जावेंगे।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण 1 ता 4 ताफैसला वाद एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित करे कि अप्रार्थी 1 ता 4 प्रार्थी के हिस्सा आराजी पर बलपूर्वक बेदखल न करे व मदालखत न करे तथा प्रार्थी को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आराजी पर काबिज काश्त रहने दे।

उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने का प्रकरण दिनांक 26.06.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिनका बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नम्बर 01 स्वीकार नहीं है, प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 सगे पिता–पुत्र नहीं है, अप्रार्थी क्रम 2 व 3 भी प्रार्थी के सौतेले भाई नहीं है, अप्रार्थी क्रम 1 की पूर्व पत्नि जसोदा बाई 40–42 वर्ष प्रार्थी को अकेला, छोड़कर, चुपचाप अप्रार्थी का घर छोड़कर चली गई थी, जिसका आज तक पता नहीं चला है स्वयं प्रार्थी ने भी जसोदा के बारे में एक शब्द नहीं लिखा कि वह जीवित है, या मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
2. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नम्बर 02 में राजस्व रिकार्ड में आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के दर्ज होना स्वीकार है। लेकिन यह स्वीकार नहीं है कि प्रार्थी चन्द्रप्रकाश का अप्रार्थी रतनलाल के खाते की आराजी में जन्म से ही हिस्सा निहित हो। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है सजरा अपूर्ण है सुनिता बाई (पुत्री) को नहीं दर्शाया गया है।
3. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नम्बर 03 की भाषा कानूनी भाषा न होकर असत्य भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे अप्रार्थी क्रम 1 को काफी मानसिक आघात लगा है प्रार्थना–पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे मद नम्बर 03 की सत्यता साबित होती हो। सम्पूर्ण मद जिस तरह से लिखी है, अस्वीकार है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है, प्रार्थी को अच्छी तरह ज्ञात है, कि अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने दौनो पुत्रों अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के पक्ष में अपने हिस्से की आराजी का रजिस्टर्ड दान पत्र कर दिया है, और रजिस्टर्ड दान पत्र की पालना में अप्रार्थी क्रम 2 मुकेश के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक हो चुका है तो अप्रार्थी क्रम 3 दिनेश के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक होना बाकी है प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 के कब्जे काश्त की आराजी पर कभी भी काबिज काश्त नहीं रहा है।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नम्बर 04 का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है क्योंकि अप्रार्थी क्रम 1 ने दिनांक 01.06.2020 को रजिस्टर्ड दान पत्र कमांक 528, 529, अपने दोनों पुत्रों अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के पक्ष में तस्दीक करा दिया है, और अब अप्रार्थी क्रम 1 के खाते में कोई जमीन शेष नहीं है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

5. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नम्बर 05 स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रार्थी वर्णित खाता संख्याओं में अपने हिस्से तक की आराजी का तन्हा रिकार्डेड खातेदार है, और उसे आराजी का उपयोग उपभोग प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती और उस दिशा में तो जारी हो ही नहीं सकती कि प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 का पुत्र नहीं है, वैसे भी रिकार्डेड खातेदार के जीवित रहते उसके वारिसान अपने पक्ष में पृथक से खाता नहीं करा सकते हैं।
6. यह कि प्रार्थना–पत्र की इस मद में वर्णित अप्रार्थी क्रम 4 ता 14 सहखातेदार हैं प्रत्येक सह खातेदार का इंच–इंच भूमि पर बराबर का कब्जा रहता है जब तक विभाजन नहीं हो जाता है प्रार्थी ने धारा 53 आर. टी. एक्ट में भी वाद पेश किया है और प्रार्थी सहखातेदार के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाहता ऐसी स्थिति में वाद मेन्टेनेबल ही नहीं है।
7. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नम्बर 07 स्वीकार नहीं है, मनघढंत, असत्य शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
8. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नम्बर 08 स्वीकार नहीं है प्रार्थी का कोई प्राईमोफेरी केस नहीं है, क्योंकि प्रार्थी आराजी का रिकार्डेड खातेदार भी नहीं है तथा आराजी पर काविज काश्त भी नहीं है इसके अलावा प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 का पुत्र भी नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का कोई प्राईमाफेसी केस नहीं है प्राईमाफेसी केस नहीं होने से शेष दो विन्दु स्वतः ही प्रार्थी के विरुद्ध चले जाते हैं, अप्रार्थी क्रम 1 ने जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 01.01.2020 को अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के पक्ष में आराजी का हस्तान्तरण कर दिया है जिसमे यह प्रार्थना–पत्र सारहीन हो जाता है प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकता।
9. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 9 का जवाब मौखिक निवेदन कर दिया जावेगा। प्रार्थना–पत्र की प्रार्थना स्वीकार नहीं है।

अप्रार्थीगण 1 ता 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में विशेष आपतियाँ भी जाहिर कि जो निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थी द्वारा मद नम्बर 02 में वर्णित खाता संख्या 276, 308 और 809 में वर्णित आराजी में से अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने हिस्से तक आराजी का रजिस्टर्ड दान पत्र क्रमांक 528, 529 दिनांक 01.06.2020 को अपने दोनों पुत्रों अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिया है, तथा रजिस्टर्ड दान पत्र की पालना में अप्रार्थी क्रम 2 मुकेश के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक हो चुका है और अप्रार्थी क्रम 3 दिनेश के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक होना शेष है जिसकी प्रक्रिया चालू है प्रार्थी को रजिस्टर्ड दान–पत्र की जानकारी है इसलिए प्रार्थी ने रजिस्टर्ड दान–पत्र क्रमांक 528, 529 दिनांक 01.06.2020 को सिविल न्यायालय में चुनौती दे रखी है, सिविल कोर्ट में पेश वाद पत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था, जिसका निर्णय सी. जे. (एस. डी.) मांगरोल द्वारा दिनांक 04.08.2020 को किया जा चुका है साथ प्रतिलिपि पेश है।
2. यह कि राजस्व न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों में स्पष्ट है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, अप्रार्थी क्रम 1 रिकार्डेड खातेदार है, और अब अप्रार्थी क्रम 2 व 3 रिकार्डेड खातेदार है जबकि प्रार्थी का आराजी पर कब्जा काश्त ही नहीं है तथा प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 का पुत्र भी नहीं है।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

यह कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष इस सम्मानीय न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता से परे है। प्रार्थी को वेदखल न करें पहले प्रार्थी यह तो साबित करे कि उसका कब्जा आराजी पर है, जब कब्जा ही प्रार्थी का नहीं है, तो वेदखल करने का प्रश्न ही नहीं है।

4. यह कि सहखातेदार होने से विभाजन के वाद में सहखातेदार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेकिन प्रार्थी सहखातेदारान के विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाहने से वाद मेन्टेनेबल नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील पक्षकारान द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना में वर्णित किये गये हैं। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओं को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में खाता सं. 276 खसरा 20/0.5 है0, 21/0.81 है0, 24/0.05 है0 कुल किता 3 रकबा 1.36 है0, हिस्सा 1/3 एवं खाता संख्या 308 खसरा नम्बर 16/3.17 है0, 17/0.12 है0, 18/0.37 है0, 19/1.00 है0, किता 04 रकबा 4.66 है0, हिस्सा 1/6 खाता संख्या 809 खसरा नम्बर 1034/0.11 है0, 1035/0.60 है0, 1036/0.14 है0, 1042/3138 रकबा 0.06 है0, 1847/0.08 है0, 1851/0.02 है0, 2075/0.03 है0, 2097/3.95 है0, 2098/1.88 है0, 2099/1.54 है0, 2100/2.29 है0, 901/0.09 है0, 903/0.24 है0, किता 13 रकबा 11.03 है0, हिस्सा 1/18 आराजी पर बलपूर्वक बेदखल न करे व मदालखत न करने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 सगे पिता पुत्र है और अप्रार्थी क्रम 2 व 3 प्रार्थी के सौतेले भाई है प्रार्थी के पिता ने करीब 30 वर्षो से प्रार्थी एवं उसकी माता जशोदा बाई का परित्याग करके घर से बाहर निकाल दिया था और दूसरा नाता विवाह करके 2 अन्य पुत्रो अप्रार्थी नं. 2 व 3 को जन्म दिया है जिनकी पैतृक व पुश्तैनी शामलाती खाते की आराजी वाके ग्राम बोहत में स्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत फर्द दस्तावेज का अवलोकन करने पर प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 का पुत्र प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की पैतृक आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन–बेचान एवं प्रार्थी की काश्त व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो न केवल प्राथी को अपने हिस्से की आराजी से वंचित होना पडेगा अपितु अनावश्यक वादकरण भी बढेगा। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूरणीय क्षति** : यदि अप्रार्थीगण द्वारा पैतृक आराजी में प्रार्थी के हिस्से की आराजी का रहन–बेचान किया जाता है तो प्रार्थी को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अंजना सेहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर० टी० एक्ट को आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में खाता सं. 276 खसरा 20/0.5 है०, 21/0.81 है०, 24/0.05 है० कुल किता 3 रकबा 1.36 है०, हिस्सा 1/3 एवं खाता संख्या 308 खसरा नम्बर 16/3.17 है०, 17/0.12 है०, 18/0.37 है०, 19/1.00 है०, किता 04 रकबा 4.66 है०, हिस्सा 1/6 खाता संख्या 809 खसरा नम्बर 1034/0.11 है०, 1035/0.60 है०, 1036/0.14 है०, 1042/3138 रकबा 0.06 है०, 1847/0.08 है०, 1851/0.02 है०, 2075/0.03 है०, 2097/3.95 है०, 2098/1.88 है०, 2099/1.54 है०, 2100/2.29 है०, 901/0.09 है०, 903/0.24 है०, किता 13 रकबा 11.03 है०, हिस्सा 1/18 आराजी के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अंजना [illegible]एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल